

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सुजानगढ़

पीठासीन अधिकारी- रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

इजराय

मु.नं. 34 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
<p>15/11/19</p> <p>26/11/19</p>	<p>इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 50/19 <sup>हजयार</sup> बनाम <sup>सय्यार</sup> आदि दावा डिक्री किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ़ को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाया जाकर पत्रावली दिनांक 26/11/19 को पेश हो।</p> <p>पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार सुजानगढ़ की पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार ने अवगत कराया कि निर्णय की पालना दिनांक 24/11/19 <sup>30/11/19</sup> हो चुकी है।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया। निर्णय की पालना होने के कारण पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>24/11/19 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सुजानगढ़</p>	<p>2019 00231</p>

